संख्या-37/2025/3671304/78-2-2025 ई-253032

प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी,
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 31 अक्टूबर, 2025

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य सी.एस.सी. 3.0 योजना अन्तर्गत जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के साथ अनुबन्धित डी.एस.पी. संस्थाओं से विस्तारित पीबीजी डीईजीएस सोसाइटी के पक्ष में प्राप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य में वर्तमान में संचालित सी.एस.सी. 3.0 की परियोजना अवधि दिनांक 15 नवम्बर, 2025 को समाप्त हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान व्यवस्था में प्रति जनपद 02 डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनके द्वारा परफॉर्मेन्स बैंक गारण्टी (पी.बी.जी.) संबंधित डी.ई.जी.एस. सोसाइटी को उपलब्ध करायी गयी है।

2- अवगत कराना है कि चूंकि प्रदेश में क्रियाशील जन सेवा केन्द्रों के द्वारा आमजनमानस को शासकीय सेवाओं का लाभ ऑनलाईन माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिसके निर्बाध रूप से कार्य करने हेतु प्रस्तावित सी.एस.सी. 4.0 परियोजना की कार्य योजना सी.ई.जी. एवं शासन स्तर पर शीर्ष प्राथमिकता पर क्रियाशील है।

3- उक्त प्रकरण में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सी.एस.सी. 3.0 योजना के अंतर्गत क्लोजर संबंधी सभी औपचारिकतायें डी.एस.पी. संस्थाओं द्वारा योजना अवधि पूर्ण होने पर समान शर्तों पर आगामी तीन माह की अवधि में पूर्ण की जाने तथा साथ ही, जनपद में अनुबन्ध एवं कार्यरत डी.एस.पी. संस्थाओं से तद्नुसार बढी हुई अवधि के अनुरूप विस्तारित पी.बी.जी. को परियोजना की आवश्यकता के दृष्टिगत डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के पक्ष में प्रत्येक दशा में दिनांक 14 नवम्बर, 2025 तक प्राप्त कर लिया जाये। योजना अवधि विस्तारित होने से शासन स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय व्ययभार नहीं आयेगा।

--2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर-3 में उल्लेखानुसार उत्तर प्रदेश राज्य सी.एस.सी. 3.0 योजना के क्लोजर औपचारिकताओं तथा आगामी नवीन व्यवस्था लागू होने के मध्य जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से जनमानस को उपलब्ध होने वाली सेवायें निर्बाध रूप से उपलब्ध होती रहें, के दृष्टिगत जनपद में अनुबन्धित डीएसपी संस्थाओं से विस्तारित पी.बी.जी. प्राप्त करने हेतु डी.ई.जी.एस. के नोडल अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग यादव
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ।
2- डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाओं को सम्बन्धित जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के पक्ष में विस्तारित पी.बी.जी. उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित द्वारा राज्य समन्वयक,सीईजी ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।